



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2026

विषय:- छतर मंजिल परिसर स्थित पुरातत्व निदेशालय के प्रशासकीय भवन के सुदृढीकरण / रेनोवेशन के कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2250/द्वितीय-98 रेनोवेशन (31)/2025, दिनांक 18 फरवरी, 2026 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 165 / 2024 / 821 / चार-2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा छतर मंजिल परिसर स्थित पुरातत्व निदेशालय के प्रशासकीय भवन के सुदृढीकरण / रेनोवेशन के कार्यों को सम्पादित कराने हेतु सी० एंड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए परियोजना हेतु रू० 494.92 लाख की प्रशासकीय एवं रू० 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार छतर मंजिल परिसर स्थित पुरातत्व निदेशालय के प्रशासकीय भवन के सुदृढीकरण / रेनोवेशन के कार्यों हेतु 5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अवशेष धनराशि **रू० 320.17 लाख (रूपये तीन करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. **शर्तें/ प्रतिबंध-**

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (3) शासनादेश संख्या- 165 / 2024/ 821/ चार-2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) प्रश्नगत स्वीकृति पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा।
- (5) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,20,17,000/- (रुपये तीन करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 092 लेखाशीर्षक 4202048001700 स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 60 /2026 / 554 (1)/चार-2026-1796179 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।